# कार्यालय उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, गढ़वा

(जिला कल्याण शाखा)

प्रमाण–पत्र

संख्या :– 167 दिनांक :– 28.01.2017

प्रमाणित किया जाता है कि भण्डरिया अंचल के अधीन उत्तरी कोयल परियोजना (मंडल डेम) के डूब क्षेत्र में पड़ने वाले राजस्व ग्राम–कुटकू, खुरा, भजना, चेमो, सनेया एवं खैरा में पड़ने वाले वनभूमि एवं जंगल झाड़ी का अपयोजन हेतु प्रस्तावति 2056.799 एकड़ वनभूमि एवं 111.22603 एकड़ जंगल–झाड़ी भूमि क्षेत्रफल के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम–2006 के अन्तर्गत Settlement of Rights की प्रकिया पूर्ण कर ली गई है। प्रस्तावित वन भूमि/जंगल–झाड़ी की विवरणी निम्नवत है :–

| क्र0 | अंचल | ग्राम | थाना नं0 | प्रस्तावित भूमि का स्वरूप | | खाता सं0 | प्लॉट सं0 | रकबा (एकड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | हकीकत | दर्जा | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | भंडरिया | कुटकू | 219 | झारखंड सरकार | वनभूमि | 02 | 01 | 165.00 |
| | | | | | | | 03 | 395.00 |
| | | | | | | | 07 | 28.50 |
| | | | | | | | 08 | 81.25 |
| | | | | | | | 11 | 98.50 |
| | | | | | | | 12 | 102.70 |
| | | | | | | | 33 | 25.00 |
| | | | | | | | 13 | 127.40 |
| | | | | | | | 14 | 25.80 |
| | | | | | | | 16 | 6.24 |
| | | | | | | | 17 | 44.00 |
| | | | | | | | 25 | 31.75 |
| | | | | | | | 28 | 25.00 |
| | | | | | | | 32 | 17.50 |
| | | | | | | | 30 | 41.00 |
| | | | | | | | 37 | 86.00 |
| | | | | | | | 39 | 11.50 |
| | | | | | | | 40 | 65.00 |
| | | | | | | | 42 | 55.00 |
| | | | | | | | 43 | 97.80 |
| | | | | | | | 44 | 141.75 |
| | | | | | | | **Total** | **1671.69** |
| 2 | भंडरिया | भजना | 218 | झारखंड सरकार | वनभूमि | 02 | 01 | 28.70 |
| | | | | | | | 02 | 54.00 |
| | | | | | | | 03 | 34.10 |
| | | | | | | | 04 | 23.75 |
| | | | | | | | 08 | 42.50 |
| | | | | | | | 11 | 75.25 |
| | | | | | | | 12 | 44.50 |
| | | | | | | | 13 | 33.90 |
| | | | | | | | **Total** | **336.70** |

ms g

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | भंडरिया | खुरा | 216 | झारखंड सरकार | वनभूमि | 02 | 02 | 0.05140 |
| | | | | | | | 28 | 20.21208 |
| | | | | | | | 23 | 13.08138 |
| | | | | | | | 01 | 6.600791 |
| | | | | | | | **Total** | **39.94565** |
| 4 | भंडरिया | चेमो | 222 | झारखंड सरकार | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | भंडरिया | खैरा | 217 | झारखंड सरकार | वनभूमि | | **02** | 8.46306 |
| | | | | | | | **Total** | 8.46306 |
| | | | | | | | महा योग :– | **2056.799 Acre** |
| 6 | भंडरिया | सनेया | 221 | झारखंड सरकार | जंगलझाड़ी | 02 | 03 | 8.80965 |
| | | | | | | | 03 | 25.80427 |
| | | | | | | | 04 | 59.31146 |
| | | | | | | | 02 | 0.50247 |
| | | | | | | | 02 | 16.64813 |
| | | | | | | | 06 | 0.15005 |
| | | | | | | | **Total** | **111.226 Acre** |

2. प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्रों में पड़ने वाले वन निवासियों के ग्राम सभा के समक्ष रखा गया। परियोजना की विस्तृत विवरणी तथा अनुवर्ती प्रभाव के संबंध में वस्तुस्थिति स्थानीय शाषा/मातृभाषा में ग्राम सभा को व्यख्यापित कर दी गई है।

3. प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि अपयोजन के संबंध में की गई चर्चा एवं लिए गए निर्णय के समय ग्राम सभा के न्यूनतम पचास प्रतिशत सदस्य की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

4. प्रमाणित किया जाता है कि आदिम जनजाति समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा–3 (1) (e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।

5. प्रमाणित किया जाता है कि सरकार के द्वारा दिये जाने वाली सुविधाओं से संबंधित वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव (यदि कोई हो) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम–2006 की धारा–3(2) के तहत प्रकिया पूर्ण कर ली गई है तथा ग्राम सभा/अनुमण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति एवं जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई है।

23/1.

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष,
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति,
गढ़वा

msg

Form - 11

**GOVT. OF JHARKHAND**

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, LATEHAR**

(For Projects other than Linear Projects)

No ...6.1..

Dated 25/1/2017

## *TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN*

In Compliance of the Ministry of Envoirment and Forest (MOEF) Govt. of India letter no. 11- 9/98- FC (pt), dated 3rd August 2009 were in the MOEF issued guidelines on submission of eviedence for having initiated and completed the process of settelements of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dewellers (Recognition of Forest Rights Act) 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **320.00 Acre of Forest Land** proposed to be diverted in favour of **North Koyal Project Mandal Dam Adjoining Submergence Village** in Latehar District falls within jurisdiction of **Mandal & Meral (Forest Village)** villages in Barwadih Tehsils.

It is further certified that,

**a)** The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **320.00 Acre of Forest Land** area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings for the Forest Rights Committee(s). Gram Sabha(s). Sub Divisional Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure .... to annexure ....

**b)** The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.

**c)** The each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/ proceses under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the grant sabha of Mandal & Meral (Forest Village) villages(s) is enclosed as annexure .... to annexure .....

**d)** The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.

**e)** The diversion of forest land for facilities managed by the Govt. as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and Gram Sabha has been given their consent to it.

**f)** The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agriculture Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA.

25/01/17

***Deputy Commissioner,***
***Latehar***